

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय आयुक्त, मिड-डे-मील कार्यक्रम**

नवजीवन सहकारी बाजार (उपहार), प्रथम तल,  
भवानी सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001  
ई-मेल:- rajmdm@rediffmail.com



क्रमांक:एफ.3(4)प्रा.शि/एमडीएम/SNA-SPARSH/2026-27/534 दिनांक 30.09.2026  
**MOST URGENT**

जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा  
जिला-समस्त।

**विषय:-पी.एम. पोषण (मिड-डे-मील) योजनान्तर्गत SNA-Sparsh Model पर बिलों के भुगतान हेतु आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति बाबत।**

**सन्दर्भ:-वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक: F.1(22)/FWM/2021 जयपुर, दिनांक 23.07.2024 के क्रम में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित परिपत्र के क्रम में लेख है कि वर्तमान में पी.एम. पोषण (मिड-डे-मील) योजनान्तर्गत SNA-SPARSH Model पर क्रियान्वयन एजेंसियों (IAs) द्वारा प्राप्त अधिकांश बिलों में साईबर ट्रेजेरी द्वारा आक्षेप प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में वित्त (मार्गोपाय) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र दिनांक 07.08.2023 के अनुसार Implementing Agencies (IAs) से प्राप्त सभी बिलों की Single Nodal Agency (SNA) स्तर पर विस्तृत एवं पूर्ण जांच पश्चात् ही भुगतान हेतु बिल State Cyber Treasury को अग्रेषित किये जाने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।

जिसके क्रम में आयुक्तालय, मिड-डे-मील स्तर पर प्राप्त बिलों की जांच के दौरान भी पाया गया कि क्रियान्वयन एजेंसियों (IAs) द्वारा आवश्यक दस्तावेजों यथा-कार्यादेश, भुगतान स्वीकृति, सक्षम अधिकारी द्वारा बिलों/वाउचर्स का प्रमाणित न होना, बिलों में पास ऑर्डर अंकित न होना एवं Paid and Cancel इत्यादि का अभाव पाया गया है।

उक्त संचालित योजना से प्राप्त बिलों में उक्त निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। इन निर्देशों की पालना किए जाने का उत्तरदायित्व संबंधित Implementing Agencies (IAs) योजना प्रभारी एवं पदस्थापित लेखा शाखा के अधिकारियों/कार्मिकों का है। बिलों में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ण जांच करने के उपरांत ही आयुक्तालय को प्रेषित करावें ताकि बिलों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब ना हो।

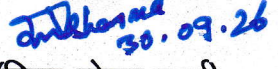
साथ ही SNA-SPARSH से सम्बद्ध बिलों को कोषालय में प्रेषित करने से पूर्व संबंधित विभागाध्यक्ष, योजना प्रभारी एवं विभाग में पदस्थापित वित्तीय सलाहकार/लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा विभिन्न लेखा नियमों एवं राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के निर्देशों की पालना के साथ-साथ आवश्यक पूर्तियां कर बिलों का प्रेषण State Cyber Treasury में किया जाना सुनिश्चित किया जा सकें।

योजनान्तर्गत बिलों के भुगतान में आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है :-

1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध भुगतान स्वीकृति जिसमें लाभार्थी की पूर्ण जानकारी मय बैंक खाता विवरण, कम्पोनेंट, बजट हैड आदि का सही विवरण अंकित हो।

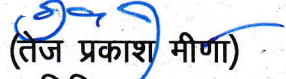
- II. सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यादेश, भुगतान स्वीकृति, सक्षम अधिकारी द्वारा बिलों/वाउचर्स का प्रमाणित होना, बिलों में पास ऑर्डर अंकित हो, Paid and Cancel हो इत्यादि।
- III. राशि ₹ 3000/- से अधिक के बिल वाउचर की प्रति संलग्न करना।
- IV. भुगतान वाउचर पर अन्य आवश्यक नियमानुसार पूर्तियां आदि।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के स्तर पर कार्यालयी प्रक्रिया निर्धारित कराई जाकर बिलों को प्रेषित करावें ताकि बिलों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब ना हो।

  
(विश्व मोहन शर्मा)  
आयुक्त  
मिड-डे-मील

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जिला-समस्त।
3. सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

  
(तेज प्रकाश मीणा)  
अतिरिक्त आयुक्त  
मिड-डे-मील